

सं०सं०-1/विविध-148/2009-

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के व्यादेश सं०-978(1), दिनांक-22.07.2016 एवं आवंटनादेश सं०-29(1)ब०, दिनांक-22.07.2016 की कंडिका-6 में अंकित- "बी०टी०सी० फॉर्म-51" के स्थान पर "बी०टी०सी० फॉर्म-26" पढ़ा जाय।

2- व्यादेश सं०-978(1), दिनांक-22.07.2016 एवं आवंटनादेश सं०-29(1)ब०, दिनांक-22.07.2016 की कंडिका- 7- "बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं डी०सी० बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।" को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है-

"बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना, डी०सी० बिल महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे।"

3- व्यादेश सं०-978(1), दिनांक-22.07.2016 एवं आवंटनादेश सं०-29(1)ब०, दिनांक-22.07.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4- व्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/विविध-148/2009- 51(1) 970 /स्वा०, पटना, दिनांक- 20/ 9 /2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य के आप्त सचिव/उप सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/विविध-148/2009- 51(1) 970 /स्वा०, पटना, दिनांक- 20/ 9 /2016

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।